

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

52/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2022/174

वादी

बनाम

प्रतिवादी

समदेखां पुत्र बागेखां
जाति सिपाई मुसलमान
निवासी नयापुरा
तहसील पचपदरा
व जिला बालोतरा

- 1.जमेखां उर्फ जमालखां पुत्र जोहबखां उर्फ जोसबखां
- 2.खमेखां पुत्र जोहबखां उर्फ जोसबखां
- 3.सुमानखां पुत्र जोहबखां उर्फ जोसबखां
- 4.सोमुखां पुत्र जोहबखां उर्फ जोसफखां
- 5.नूरा पुत्र जोहबखां उर्फ जोसबखां
- 6.सफीखां पुत्र अकबरखां
- 7.उमर सदीक पुत्र अकबरखां
- 8.सरीफखां पुत्र अकबरखां
- 9.कोजी बेवा अब्दुलखां
- 10.रहीमखां पुत्र अब्दुलखां
- 11.रिमजानखां पुत्र सदीकखां
जाति सिपाई मुसलमान
निवासी नयापुरा तहसील पचपदरा
- 12.आकूखां पुत्र जामीनखां कौम मुसलमान
निवासी मुकनपुरा तहसील पचपदरा
- 13.अलाबक्सखां पुत्र जामीनखां
कौम मुसलमान निवासी मुकनपुरा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
- 14.बिसमिल्ला पुत्री अकबरखां पत्नी शेरूखां



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पुत्र मुबीनखां जाति सिपाई मुसलमान
निवासी बागावास तहसील पचपदरा जिला
बालोतरा

15.जमु पुत्री अकबरखां पत्नी बरगतखां पुत्र
सागरखां जाति सिपाई मुसलमान
निवासी बोकोणियों की ढाणी,बड़नावा जागीर
16.रहीमों उर्फ रहिसो पुत्री अकबरखां पत्नी
गनीखां पुत्र सफीखां जाति सिपाई
मुसलमान निवासी बागावास तहसील
पचपदरा व जिला बालोतरा

17.मूमल पुत्री अकबरखां पत्नी हासमखां पुत्र
भंवरेखां जाति सिपाई मुसलमान
निवासी मोमदणियों की ढाणी खन्नौडा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

18.शाखा प्रबंधक,सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
शाखा खेड रोड बालोतरा जिला बालोतरा

19.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार
पचपदरा



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति

- 1.श्री समदे खां वादी स्वयं।
- 2.प्रतिवादी एकतरफा।

अंतिम निर्णय:

दिनांक- 15-3-2024

संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि सरहद मौजा नयापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 481 रकबा 76.08 बीघा एवं ग्राम सिमरखिया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 88 रकबा 39-06 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 06.4.2023


सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) बालोतरा

को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को वादी का बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी तकील की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। प्रतिवादी बावजूद सम्मन तामीली के उपरिष्ठत नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई थी।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा नयापुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 481 रकबा 76.08 बीघा एवं ग्राम सिमरखिया तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 88 रकबा 39-06 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हेक्ट)	किस्म भूमि	लगान	बरंग
1	समदेखां पुत्र बागेखां जाति सिंधी मुसलमान सा.देह खातेदार	नयापुरा	481	2.4734	बा.दोयम	1.83	नक्शों में दर्शितनुसार
		सिमरखिया	88	1.2723	बा.सोयम	0.94	
		योग	02	3.7457	—	2.77	
2	उमरसदीक पुत्र अकबरखां 1/12 खमेखां पुत्र जोहबखां 1/20 जमें खां पुत्र जोहब खां 1/20 रहन-जमेखां का हि. CBI शाखा बालोतरा जमालखां पुत्र जोसबखां 1/4 नुरु पुत्र जोहबखां 1/20 कोजी पत्नी अब्दुलखां 1/8 रहीमखां पुत्र अब्दुलखां 1/8 सफीखां पुत्र अकबरखां 1/12 सुभानखां पुत्र जोहबखां 1/20 सरीफखां पुत्र अकबरखां 1/12 सोमु पुत्र जोहबखां 1/20 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	नयापुरा	481	9.8938	बा.दोयम	7.32	नक्शों में दर्शितनुसार



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

3	अलाबक्सखां पुत्र जामीनखां 1/8, आकुखां पुत्र जामीनखां 1/8, उमरसदीक पुत्र अकबरखां 1/112 कोजी पत्नी अब्दुलखां 1/8, खमा पुत्र जोहब 1/20 जमु पुत्री अकबरखां 1/112 जमाल पुत्र जोहब 1/20, नुरा पुत्र जोहवा 1/20 बिसमिला पुत्री अकबरखां 1/112 मूमल पुत्री अकबरखां 1/112 रहिसो पुत्री अकबरखां 1/112, रहीमखां पुत्र अब्दुलखां 1/8, रिमजानखां पुत्र सदीकखां 1/8 सफी पुत्र अकबरखां 1/112 सफी खां पुत्र अकबरखां 1/112 सुभान पुत्र जोहण 1/20 सरीफ पुत्र अकबरखां 1/112 सामू पुत्र जोंहब 1/20 जाति सिंधी मुसलमान सा. मुकनपुरा व देह खातेदार	सिमरखिया	88	5.0893	बा. सोयम	3.77	नक्शे मे दर्शितानु सार
---	---	----------	----	--------	-------------	------	------------------------------

तहसीलदार, पंचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल-दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।



(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 15-3-2024 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा



मूलवाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:-

श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

52 / 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2022 / 174

वादी	बनाम	प्रतिवादी
समदेखां पुत्र बागेखां जाति सिपाई मुसलमान निवासी नयापुरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.जमेखां उर्फ जमालखां पुत्र जोहबखां उर्फ जोसबखां 2.खमेखां पुत्र जोहबखां उर्फ जोसबखां 3.सुभानखां पुत्र जोहबखां उर्फ जोसबखां 4.सोमुखां पुत्र जोहबखां उर्फ जोसफखां 5.नूरा पुत्र जोहबखां उर्फ जोसबखां 6.सफीखां पुत्र अकबरखां 7.उमर सदीक पुत्र अकबरखां 8.सरीफखां पुत्र अकबरखां 9.कोजी बेवा अब्दुलखां 10.रहीमखां पुत्र अब्दुलखां 11.रिमजानखां पुत्र सदीकखां जाति सिपाई मुसलमान निवासी नयापुरा तहसील पचपदरा 12.आकूखां पुत्र जामीनखां कौम मुसलमान निवासी मुकनपुरा तहसील पचपदरा 13.अलाबक्सखां पुत्र जामीनखां कौम मुसलमान निवासी मुकनपुरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 14.बिसमिल्ला पुत्री अकबरखां पत्नी शेरूखां पुत्र मुबीनखां जाति सिपाई मुसलमान निवासी बागावास तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 15.जमु पुत्री अकबरखां पत्नी बरगतखां पुत्र सागरखां जाति सिपाई मुसलमान निवासी बोकोणियों की ढाणी,बड़नावा जागीर 16.रहीमों उर्फ रहिसो पुत्री अकबरखां पत्नी



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

गनीखां पुत्र सफीखां जाति सिपाई
मुसलमान निवासी बागावास तहसील
पचपदरा व जिला बालोतरा

17.मूमल पुत्री अकबरखां पत्नी हासमखां पुत्र
भंवरेखां जाति सिपाई मुसलमान
निवासी मोमदणियों की ढाणी खन्नौडा
तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

18.शाखा प्रबंधक,सैण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
शाखा खेड रोड बालोतरा जिला बालोतरा

19.राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व वाद बाबत:-53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 52/2022

निर्णय दिनांक :- 15.3.2024

वादी स्वयं की उपस्थिति एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 15.03.2024 को श्री राजेशकुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:-वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 15.3.2024 मे अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते है,कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.3.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4.....रुपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-----
5.साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-----	5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	-	जोड़	-----



सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.)बालोतरा